



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary



सत्यमेव जयते



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

D.O.No. 2-11/2026(CPP-II) (C.178336)

25 चैत्र, 1948/ 15th April, 2026

Subject: House Listing and Housing Census 2026 – Promotion of the Self-Enumeration (SE) Portal -reg.

आदरणीय महोदया/महोदय,

Kindly refer to the communication received from the Ministry of Home Affairs (copy enclosed) regarding the House Listing and Housing Census 2026- Promotion of the Self-Enumeration (SE) Portal.

The Self-Enumeration (SE) initiative is a progressive and citizen-centric approach that enables households to furnish their Census details digitally, securely and at their convenience within a notified window of 15 days prior to the House-to-House Enumeration phase. The portal is user-friendly, available in English, Hindi and 14 regional languages, and allows any adult member of the Household to complete the process in approximately 15-20 minutes, generating a unique Self-Enumeration ID (SE ID) upon submission.

Self-Enumeration will be conducted State/UT-wise for a limited period of 15 days, as per the schedule outlined in Annexure-I.

In this regard, all Higher Education Institutions (HEIs) are requested to take the following proactive measures:

1. Widely disseminate information regarding the SE portal among all officers, faculty members, staff and their families;
2. Encourage maximum participation in Self-Enumeration within the notified period for their respective State/UT;
3. Facilitate awareness through internal communication channels, notice boards, emails and institutional websites;
4. Ensure that officials are sensitized about the importance of retaining and sharing the SE ID with the Enumerator during the field visit for validation.

This initiative is a significant step towards digitally empowered governance and efficient Census operations. The active participation of academic institutions will greatly contribute to ensuring the accuracy, transparency, and timeliness of Census data collection.

Contd.

A User Guide detailing the step-by-step process for completing Self-Enumeration on the SE portal is also enclosed as Annexure-II.

All HEIs are requested to widely disseminate the information among students, faculty members to ensure maximum outreach and participation in the Self-Enumeration (SE) process through the official portal: <https://se.census.gov.in>

सादर,

भवदीय,



(मनिष जोशी)

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

सेवा में,

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति।

सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य।



D.O. No. 9/9/2026-CD(Cen)

19th March, 2026

Dear Secretary,

As you are aware, the Census 2027 would be conducted in two phases. Phase-I, i.e., Houselisting and Housing Census (HLO) will be conducted between 1st April, 2026 and 30th September, 2026 in all States and Union territories in India for a period of 30 days selected by the States/Union Territories. Notification for the period and questions for the same have already been issued which has been republished by the States/UTs indicating period of HLO. The State/UT wise tentative period is given as Annexure-I. Phase-II, i.e., Population Enumeration (PE), will be conducted in February 2027, for which separate notification will be issued.

2. In conformity with the Government's commitment to Digital India initiatives, Census 2027 shall make extensive use of digital technology to enhance the quality, efficiency, and timeliness of data collection and dissemination. This will include the deployment of a dedicated Mobile Application (HLO Application) for collection of data by the Enumerators as well as there will be a provision for Self-Enumeration (SE) through a dedicated web portal (<https://se.census.gov.in>) for the general public which will remain open for a period of 15 days just before the house-to-house data collection by the Enumerator for HLO.

3. Self-Enumeration provides a secure and flexible mode of participation in Census, enabling the households to furnish household details at their convenience. The web portal is available in English, Hindi and 14 Regional Languages. Any one member of the household may self-enumerate and furnish household details in about 15-20 minutes time and get Self-Enumeration ID (SE ID) in mobile/email. During the visit of Enumerator to the household, the SE ID will need to be shared with her/him for confirmation and final submission of Self-Enumeration data.

4. For facilitating smooth participation, a User Guide, outlining the step-by-step process for completing Self-Enumeration through the SE portal of the Census of India, is enclosed as Annexure - II for ready reference.

cont...p/2.

5. I am writing to you with the request to encourage all officials in your Ministry/Departments, attached offices and all other organizations to Self-Enumerate during the State/UT specific notified period of 15 days. Your esteemed participation will not only set a commendable example but also encourage wider public adoption, thereby significantly contributing to the efficient, transparent and technology-enabled conduct of this vital exercise of national importance.

6. In case of any queries, Sh. Subhash Dasgupta, DRG(C&T) <email id: dasguptas.rgi@gov.in, Ph. No. 011-23083843> and/or Sh. Deepak Kr. Gupta, TD(IT) <email id: dkg516.rgi@gov.in, Ph. No. 011-22903409> may be contacted.

With regards,

Yours sincerely,


(Govind Mohan)

The Secretaries to all Ministries/Departments of Government of India

Annexure-I

Houselisting and Housing Census Period - 2026			
Sl.No.	Name of State / UT	Tentative Period of Self-Enumeration	Tentative Period of house to house Houselisting Operations
1	Andaman and Nicobar Islands	1st April to 15th April	16th April to 15th May
2	Andhra Pradesh	16th April to 30th April	1st May to 30th May
3	Arunachal Pradesh	16th April to 30th April	1st May to 30th May
4	Assam	2nd August to 16th August	17th August to 15th September
5	Bihar	17th April to 1st May	2nd May to 31st May
6	Chandigarh	16th April to 30th April	1st May to 30th May
7	Chhattisgarh	16th April to 30th April	1st May to 30th May
8	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	5th April to 19th April	20th April to 19th May
9	NCT of Delhi	(a) 1st April to 15th April in area falling under New Delhi Municipal Council (NDMC) and Delhi Cantonment Board (b) 1st May to 15th May in Municipal Corporation of Delhi (MCD) area	(a) 16th April to 15th May in area falling under New Delhi Municipal Council (NDMC) and Delhi Cantonment Board (b) 16th May to 14th June in Municipal Corporation of Delhi (MCD) area
10	Goa	1st April to 15th April	16th April to 15th May
11	Gujarat	5th April to 19th April	20th April to 19th May
12	Haryana	16th April to 30th April	1st May to 30th May
13	Himachal Pradesh	27th April to 11th May	12th May to 10th June
14	Jammu and Kashmir	17th May to 31st May	1st June to 30th June
15	Jharkhand	1st May to 15th May	16th May to 14th June
16	Karnataka	1st April to 15th April	16th April to 15th May
17	Kerala	16th June to 30th June	1st July to 30th July
18	Ladakh	17th May to 31st May	1st June to 30th June
19	Lakshadweep	1st April to 15th April	16th April to 15th May
20	Madhya Pradesh	16th April to 30th April	1st May to 30th May

Houselisting and Housing Census Period - 2026

Sl.No.	Name of State / UT	Tentative Period of Self-Enumeration	Tentative Period of house to house Houselisting Operations
21	Maharashtra	1st May to 15th May	16th May to 14th June
22	Manipur	1st April to 15th April	16th April to 15th May
23	Meghalaya	1st May to 15th May	16th May to 14th June
24	Mizoram	1st April to 15th April	16th April to 15th May
25	Nagaland	16th June to 30th June	1st July to 30th July
26	Odisha	1st April to 15th April	16th April to 15th May
27	Puducherry	17th May to 31st May	1st June to 30th June
28	Punjab	30th April to 14th May	15th May to 13th June
29	Rajasthan	1st May to 15th May	16th May to 14th June
30	Sikkim	1st April to 15th April	16th April to 15th May
31	Tamil Nadu	17th July to 31st July	1st August to 30th August
32	Telangana	26th April to 10th May	11th May to 9th June
33	Tripura	17th July to 31st July	1st August to 30th August
34	Uttar Pradesh	7th May to 21st May	22nd May to 20th June
35	Uttarakhand	10th April to 24th April	25th April to 24th May
36	West Bengal	To be Decided	To be Decided

Self-Enumeration for Phase -I of Census 2027

User Guide

Introduction

Self-Enumeration (SE) is a process in Census in which residents fill and submit their household data online. The SE portal will remain open for 15 days prior to the start of House to House Houselisting Operations (HLO) by the Enumerator as per specific period notified by State/UT. Opening date and active period will be displayed in the portal. The process may take approximately 15-20 minutes and after successful submission, a unique Self-Enumeration ID (SE ID) will be generated.

Step 1: Access and Initial Login

- **Portal:** Access the portal at <https://se.census.gov.in>.
- **Initial Selection:** Select your State/UT from the dropdown and enter the Captcha to proceed.
 - **Device Tip:** *Using a laptop or desktop is recommended for better visibility when marking your house on the digital map.*

Step 2: Household Registration

- **Head of Household:** Enter the name of the Head of Household. A tooltip is provided beside this field to help you understand who should be considered the Head of the Household.
 - **Important:** *This name cannot be changed once registered.*
- **Mobile Registration:** Enter mobile number of any member of the household. Only one mobile number should be used per household, and the same cannot be used for any other household.
- **Email (Optional):** You may also provide an Email Id to receive your Self-Enumeration ID (SE ID) through email.

Step 3: Language Selection and OTP Verification

- **Language Preference:** Select your preferred language.
 - **Important:** *Selected language cannot be changed afterwards.*
- **OTP Verification:** Enter the One-Time Password (OTP) sent to your registered mobile number to verify and continue.
 - **Tip:** *Ensure your phone has proper network connectivity to receive the OTP.*

Step 4: Providing Location Details of Your Residence

- **Location Entry:** Select your District and enter your PIN (Optional) and then enter name of your Village/Town, Locality, nearby landmark. Click "Search".

Step 5: Locating your Residence on Map

- **Interactive Mapping:** A map will appear with a red marker. Drag this marker exactly on the residence to identify the exact location of the residential building. Click "Save & Next". A confirmation message will appear for validating the location information.
 - **Purpose:** *This will help in assigning the SE data to specific Houselisting Block (HLB) for confirmation by Enumerator during house to house visit.*

Step 6: Completing the Questionnaire

- **Data Entry:** Fill in the Houselisting and Housing Census questionnaire.
- **Guidance Tools:** Use the Notes (below questions), "Tooltips" and the "FAQs" for help with specific questions.
- **Uniformity:** The questionnaire is identical to the one used by enumerators. Certain details such as Building Number, Census House Number, Use of Census House, and Household Number are recorded separately by the Enumerator during her/his field visit.
- **Navigation:** The system requires you to complete the current screen before moving forward, though you can go back to edit previous entries at any time.

Step 7: Review of entered data

- **Preview:** Use the Preview screen to check all entered data section-wise. Editing the data is possible at this Stage.
- **Save as Draft:** You can save the information as a draft to finalise and submit before the last date.

Step 8: Final Submission

- **Locking Data:** Click "Final Submit" once you are satisfied. No further changes or edits can be made after this action, except by the Enumerator.
- **Submission Deadline:** The last date of submission will be displayed as a marquee in all pages. If not finally submitted before the State/UTs closing date, the Self-Enumeration will not be considered complete.
- **Generation of ID:** Upon successful submission, a unique 11-digit SE ID (prefixed with "H") is generated and displayed. The SE ID is also sent via SMS and Email (if provided). It is recommended to take a screenshot and note it down.
- **Retrieving SE ID:** Provision to retrieve SE ID at a later date from portal through registered mobile number is available.

Step 9: Field Validation

- **Enumerator Visit:** When a Census Enumerator visits your home, share your SE ID with her/him.
- **ID Matching:**
 - If the SE ID matches with any of the SE IDs present on the Enumerator's mobile, your SE data is confirmed, accepted and submitted.
 - In case SE ID do not match, the Enumerator will collect your household data afresh.

Self-Enumeration Flow Chart



SECTION 1: ACCESS AND INITIAL REGISTRATION

Portal Access & Login

1

Visit <https://se.census.gov.in>, select State/UT, enter Captcha.

2

Household Registration

Enter Head of Household Name, 10-digit Mobile Number, Email Id (Optional)



Name of Head of Household can not be changed later



Only one Mobile Number should be used per household; once registered, the same cannot be used for any other household.

SECTION 2: VERIFICATION AND LOCATION IDENTIFICATION



3

Language & OTP Verification

Select preferred language and enter OTP sent to registered mobile number.



Selected Language cannot be changed later

4

Provide Location Details

Select District and enter PIN, Village/Town/Locality.

5

Locate Your Residence on Map

Drag the Red Marker on the map to identify your exact residential building and confirm location.

SECTION 3: DATA ENTRY AND FINAL SUBMISSION

6

Complete the Questionnaire

Fill in the Houselisting and Housing Census Questionnaire guided by Tooltips, FAQs and "Essential Information" notes.

7

Preview and Review

Use the Preview Screen to check all entered data; you can edit entries, save a draft to submit later, or submit finally.

8

Final Submission

Click "Final Submit" to lock your data; no changes can be made after Final Submission

GENERATION OF THE SE ID

Upon submission, a unique 11-digit SE ID (prefixed with "H") is generated and sent via SMS & Email (if provided)

9

Enumerator Visit

When a Census Enumerator visits your home, share your SE ID with her/him.

ID Matching Outcomes

If SE ID matches with an existing record, details are confirmed and submitted; if not, Enumerator will collect data afresh.

SECTION 4: FIELD VALIDATION





अर्द्धशासकीय पत्र सं. 9/9/2026/CD(Cen)

दिनांक: 19 मार्च, 2026

प्रिय सचिव,

जैसा कि विदित है कि जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण-मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना, 1 अप्रैल, 2026 से 30 सितंबर, 2026 के बीच देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चयनित 30 दिनों की अवधि में संपन्न किया जाएगा। इस संबंध में अवधि तथा प्रश्रावली हेतु अधिसूचना पूर्व में ही जारी की जा चुकी है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पुनः प्रकाशित करते हुए मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना की अवधि का उल्लेख किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संभावित अवधि **अनुलग्नक-I** में दी गई है। दूसरा चरण- जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए पृथक अधिसूचना यथासमय जारी की जाएगी।

2. डिजिटल इंडिया पहलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, जनगणना 2027 में डेटा के संग्रहण और प्रसार की गुणवत्ता, दक्षता तथा समयबद्धता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से डिजिटल प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रगणकों द्वारा डेटा संकलन के लिए एक समर्पित मोबाइल अनुप्रयोग (HLO Application) का उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आम नागरिकों के लिए स्व-गणना (Self-Enumeration - SE) की सुविधा एक समर्पित वेब पोर्टल (<https://se.census.gov.in>) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। यह पोर्टल मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना (HLO) के लिए प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर किए जाने वाले डेटा संकलन के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व 15 दिनों की अवधि के लिए आम जनता के लिए खुला रहेगा।

3. स्व-गणना में सहभागिता एक सुरक्षित एवं सरल माध्यम प्रदान करती है, जिसके माध्यम से परिवार अपनी सुविधा के अनुसार परिवार संबंधी विवरण उपलब्ध करा सकते हैं। यह वेब पोर्टल अंग्रेजी, हिंदी तथा 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। परिवार का कोई भी एक सदस्य लगभग 15-20 मिनट में स्व-गणना की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए परिवार संबंधी विवरण दर्ज कर सकता है तथा स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) अपने मोबाइल/ई-मेल पर प्राप्त कर सकता है। प्रगणक के परिवार के भ्रमण के दौरान, स्व-गणना के विवरण की पुष्टि एवं अंतिम प्रस्तुतिकरण के लिए SE ID प्रगणक के साथ साझा करना आवश्यक होगा।


4. सुगम सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए चरणबद्ध मार्गदर्शन प्रदान करने वाली **उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका** (User Guide) प्रेषित है, जिसे **अनुलग्नक-II** के रूप में संदर्भ हेतु उपलब्ध कराया गया है।

अगले पृष्ठ पर जारी.....

5. आपसे अनुरोध है कि आप अपने मंत्रालय/विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों तथा अन्य सभी संगठनों के कर्मचारियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अधिसूचित 15 दिनों की अवधि के दौरान स्व-गणना में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें। आपकी गरिमामयी सहभागिता न केवल एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करेगी अपितु व्यापक जन-सहभागिता को भी प्रोत्साहित करेगी, जिससे राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य के कुशल, पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी-सक्षम संचालन में आवश्यक योगदान सुनिश्चित होगा।

6. किसी भी प्रकार की स्पष्टीकरण के लिए श्री सुभाष दासगुप्ता, उप महारजिस्ट्रार (C&T) (ई-मेल: dasguptas.rgi@gov.in, दूरभाष संख्या.: 011-23083843) अथवा श्री दीपक कुमार गुप्ता, तकनीकी निदेशक (IT) (ई-मेल: dkg516.rgi@gov.in, दूरभाष संख्या.: 011-22903409) से संपर्क किया जा सकता है।

आपका शुभाकांक्षी,



(गोविंद मोहन)

सचिव, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना - 2026			
क्र. सं	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	स्व-गणना की प्रस्तावित अवधि	प्रगणक द्वारा मकानसूचीकरण की प्रस्तावित अवधि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1 अप्रैल से 15 अप्रैल	16 अप्रैल से 15 मई
2	आंध्र प्रदेश	16 अप्रैल से 30 अप्रैल	1 मई से 30 मई
3	अरुणाचल प्रदेश	16 अप्रैल से 30 अप्रैल	1 मई से 30 मई
4	असम	2 अगस्त से 16 अगस्त	17 अगस्त से 15 सितंबर
5	बिहार	17 अप्रैल से 1 मई	2 मई से 31 मई
6	चंडीगढ़	16 अप्रैल से 30 अप्रैल	1 मई से 30 मई
7	छत्तीसगढ़	16 अप्रैल से 30 अप्रैल	1 मई से 30 मई
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5 अप्रैल से 19 अप्रैल	20 अप्रैल से 19 मई
9	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	(क) नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) और दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल (ख) दिल्ली नगर निगम (MCD) क्षेत्र में 1 मई से 15 मई	(क) नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) और दिल्ली छावनी बोर्ड के क्षेत्रों में 16 अप्रैल से 15 मई (ख) दिल्ली नगर निगम (MCD) क्षेत्र में 16 मई से 14 जून
10	गोवा	1 अप्रैल से 15 अप्रैल	16 अप्रैल से 15 मई
11	गुजरात	5 अप्रैल से 19 अप्रैल	20 अप्रैल से 19 मई
12	हरियाणा	16 अप्रैल से 30 अप्रैल	1 मई से 30 मई
13	हिमाचल प्रदेश	27 अप्रैल से 11 मई	12 मई से 10 जून

मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना - 2026

क्र. सं	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	स्व-गणना की प्रस्तावित अवधि	प्रगणक द्वारा मकानसूचीकरण की प्रस्तावित अवधि
14	जम्मू और कश्मीर	17 मई से 31 मई	1 जून से 30 जून
15	झारखंड	1 मई से 15 मई	16 मई से 14 जून
16	कर्नाटक	1 अप्रैल से 15 अप्रैल	16 अप्रैल से 15 मई
17	केरल	16 जून से 30 जून	1 जुलाई से 30 जुलाई
18	लद्दाख	17 मई से 31 मई	1 जून से 30 जून
19	लक्षद्वीप	1 अप्रैल से 15 अप्रैल	16 अप्रैल से 15 मई
20	मध्य प्रदेश	16 अप्रैल से 30 अप्रैल	1 मई से 30 मई
21	महाराष्ट्र	1 मई से 15 मई	16 मई से 14 जून
22	मणिपुर	1 अप्रैल से 15 अप्रैल	16 अप्रैल से 15 मई
23	मेघालय	1 मई से 15 मई	16 मई से 14 जून
24	मिजोरम	1 अप्रैल से 15 अप्रैल	16 अप्रैल से 15 मई
25	नागालैंड	16 जून से 30 जून	1 जुलाई से 30 जुलाई
26	ओडिशा	1 अप्रैल से 15 अप्रैल	16 अप्रैल से 15 मई
27	पुदुचेरी	17 मई से 31 मई	1 जून से 30 जून
28	पंजाब	30 अप्रैल से 14 मई	15 मई से 13 जून
29	राजस्थान	1 मई से 15 मई	16 मई से 14 जून
30	सिक्किम	1 अप्रैल से 15 अप्रैल	16 अप्रैल से 15 मई
31	तमिल नाडु	17 जुलाई से 31 जुलाई	1 अगस्त से 30 अगस्त
32	तेलंगाना	26 अप्रैल से 10 मई	11 मई से 9 जून
33	त्रिपुरा	17 जुलाई से 31 जुलाई	1 अगस्त से 30 अगस्त
34	उत्तर प्रदेश	7 मई से 21 मई	22 मई से 20 जून
35	उत्तराखंड	10 अप्रैल से 24 अप्रैल	25 अप्रैल से 24 मई
36	पश्चिम बंगाल	अभी तय होना बाकी है	अभी तय होना बाकी है

जनगणना 2027 के प्रथम चरण- मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए स्व-गणना

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

=====

प्रस्तावना

स्व-गणना (Self-Enumeration-SE) जनगणना की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निवासी अपने परिवार संबंधी विवरण को स्वयं ऑनलाइन भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अवधि के अनुसार, SE पोर्टल, प्रगणक द्वारा घर-घर जाकर किए जाने वाले मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना (HLO) के प्रारंभ होने से 15 दिन पूर्व से सक्रिय रहेगा। पोर्टल के खुलने की तिथि तथा इसकी सक्रिय अवधि पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। यह प्रक्रिया पूर्ण करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है तथा सफलतापूर्वक प्रस्तुतिकरण के पश्चात एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) उत्पन्न होगी।

स्टेप 1: प्रवेश और प्रारंभिक लॉगिन

- **पोर्टल:** पोर्टल तक पहुंचने के लिए <https://se.census.gov.in> पर जाएं।
- **प्रारंभिक चयन:** ड्रॉप-डाउन सूची से अपना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चुनें तथा आगे बढ़ने के लिए कैप्चा दर्ज करें।
- **उपकरण संबंधी सुझाव:** डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिह्नित करते समय बेहतर दृश्यता के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग करना प्रस्तावित है।

स्टेप 2: परिवार का पंजीकरण

- **परिवार का मुखिया:** परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करें। इस प्रविष्टि के पास एक टूलटिप उपलब्ध है, जो यह समझने में सहायता करेगा कि परिवार का मुखिया किसे माना जाए।
 - **महत्वपूर्ण:** एक बार पंजीकरण होने के बाद इस नाम को बदला नहीं जा सकेगा।
- **मोबाइल पंजीकरण:** परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करें। प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाना चाहिए और वह नंबर किसी अन्य परिवार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
- **ईमेल (वैकल्पिक):** आप अपनी स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु एक ई-मेल आईडी भी प्रदान कर सकते हैं।

स्टेप 3: भाषा चयन एवं ओटीपी सत्यापन

- **भाषा वरीयता:** अपनी पसंदीदा भाषा सावधानीपूर्वक चुनें। प्रक्रिया के बाद के चरणों में इसे बदला नहीं जा सकेगा।
 - **महत्वपूर्ण:** चयनित भाषा को बाद में बदला नहीं जा सकता।
- **ओटीपी सत्यापन:** अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त एक-बार उपयोग होने वाला पासवर्ड (ओटीपी) दर्ज कर सत्यापन करें और आगे बढ़ें।
 - **सुझाव:** ओटीपी प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके मोबाइल में पर्याप्त नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध हो।

स्टेप 4: निवास स्थान का विवरण प्रदान करना

- **स्थान संबंधी विवरण:** अपना जिला चुनें और अपना पिन कोड (वैकल्पिक) दर्ज करें। इसके पश्चात अपने गाँव/नगर, स्थानीय क्षेत्र तथा निकटवर्ती पहचान-चिह्न (लैंडमार्क) का नाम दर्ज करें। इसके बाद “खोज” पर क्लिक करें।

स्टेप 5: मानचित्र पर अपने निवास स्थान का चिह्नानकन

- **परस्पर क्रियात्मक मानचित्रण:** स्क्रीन पर एक लाल संकेतक (मार्कर) के साथ मानचित्र प्रदर्शित होगा। इस संकेतक को खींचकर अपने निवास स्थान के सटीक स्थान पर रखें ताकि आवासीय भवन का सही स्थान चिह्नित किया जा सके। इसके बाद “सहेजें और आगे बढ़ें” पर क्लिक करें। स्थान संबंधी जानकारी की पुष्टि हेतु एक संदेश प्रदर्शित होगा।
 - **उद्देश्य:** यह प्रणाली द्वारा घर-घर भ्रमण के दौरान सत्यापन हेतु स्व-गणना (SE) डेटा को संबंधित मकानसूचीकरण ब्लॉक (Houselisting Block) से आवंटित करने में सहायक होगा।

स्टेप 6: प्रश्नावली को पूर्ण करना

- **सूचना दर्ज करना:** मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना से संबंधित प्रश्नावली को भरें।
- **मार्गदर्शन साधन:** विशिष्ट प्रश्नों के लिए प्रश्नों के नीचे दिए गए नोट्स, “टूलटिप्स” तथा “अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न” का उपयोग करें।
- **एकरूपता:** यह प्रश्नावली वही है जिसका उपयोग प्रणाली द्वारा किया जाएगा। भवन संख्या, जनगणना मकान संख्या, जनगणना मकान का उपयोग तथा परिवार क्रमांक जैसी कुछ जानकारी प्रणाली द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अलग से दर्ज की जाएगी।
- **नेविगेशन:** प्रणाली में अगले पृष्ठ पर जाने से पहले वर्तमान स्क्रीन को पूर्ण करना आवश्यक है, हालांकि आप किसी भी समय पिछली प्रविष्टियों में संशोधन करने के लिए वापस जा सकते हैं।

स्टेप 7: दर्ज किए गए डेटा की समीक्षा

- **पूर्वावलोकन:** "पूर्वावलोकन" स्क्रीन के माध्यम से सभी दर्ज की गई जानकारी को अनुभाग-वार जांचें। इस चरण पर डेटा में संशोधन किया जा सकता है।
- **ड्राफ्ट के रूप में सेव करें:** आप जानकारी को ड्राफ्ट के रूप में सेव रख सकते हैं और अंतिम तिथि से पूर्व इसे अंतिम रूप देकर "पुष्टि करें और सबमिट" कर सकते हैं।

स्टेप 8: अंतिम प्रस्तुतीकरण

- **डेटा लॉक करना:** जब आप संतुष्ट हों, तब "**पुष्टि करें और सबमिट करें**" पर क्लिक करें। इसके बाद किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा, सिवाय इसके कि प्रगणक द्वारा आवश्यक परिवर्तन किए जाएँ।
- **प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि:** अंतिम तिथि सभी पृष्ठों पर चलती हुई सूचना (Marquee) के रूप में प्रदर्शित की जाएगी। यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अंतिम रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो स्व-गणना पूर्ण नहीं मानी जाएगी।
- **आईडी का निर्माण:** सफल प्रस्तुतीकरण के पश्चात "H" से प्रारंभ होने वाली 11 अंकों की एक विशिष्ट SE ID उत्पन्न होगी और प्रदर्शित की जाएगी। यह SE ID एसएमएस तथा ई-मेल (यदि प्रदान किया गया हो) के माध्यम से भी भेजी जाएगी। इसे स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखना तथा लिखकर नोट कर लेना अनुशंसित है।
- **SE ID पुनः प्राप्त करना:** पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से पोर्टल से बाद में भी SE ID प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

स्टेप 9: क्षेत्रीय सत्यापन

- **प्रगणक द्वारा घर का भ्रमण:** जब जनगणना प्रगणक आपके घर आए, तो उन्हें अपनी SE ID प्रदान करें।
- **ID मिलान:**
 - यदि SE ID प्रगणक के मोबाइल में उपलब्ध किसी भी SE ID से मेल खाती है, तो आपका स्व-गणना डेटा सत्यापित, स्वीकार एवं प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
 - यदि SE ID का मिलान नहीं होता है, तो प्रगणक आपके परिवार की जानकारी पुनः एकत्र करेगा।

स्व-गणना फ्लो चार्ट



अनुभाग 1 : पोर्टल में प्रवेश एवं प्रारंभिक पंजीकरण

पोर्टल में प्रवेश एवं लॉग-इन

1

<https://se.census.gov.in> पर जाएँ, अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का चयन करें और कैप्चा कोड दर्ज करें।

2

परिवार पंजीकरण

परिवार के मुखिया का नाम, 10 अंकों का मोबाइल नंबर ई-मेल आईडी (वैकल्पिक) दर्ज करें



परिवार के मुखिया का नाम बाद में बदला नहीं जा सकेगा।



प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है। एक बार पंजीकृत होने के बाद वही मोबाइल नंबर किसी अन्य परिवार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

अनुभाग 2 : सत्यापन एवं स्थान की पहचान



3

भाषा चयन एवं ओटीपी सत्यापन

अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें तथा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी (OTP) दर्ज करें।



चयनित भाषा को बाद में बदला नहीं जा सकता।

4

स्थान संबंधी विवरण प्रदान करें

अपने जिले का चयन करें, पिन कोड दर्ज करें गांव/नगर/स्थानीय क्षेत्र (लोकैलिटी) की जानकारी भरे

5

मानचित्र पर अपने निवास स्थान को चिन्हित करें

मानचित्र पर लाल मार्कर को खींचकर (Drag करके) अपने आवासीय भवन के सटीक स्थान पर स्थापित करें तथा स्थान की पुष्टि करें।

6

प्रश्नावली पूर्ण करें

मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना प्रश्नावली भरें। प्रश्नों को समझने में सहायता के लिए टूलटिप्स, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) तथा "आवश्यक सूचना" उपलब्ध है।

अनुभाग 3 : डेटा दर्ज करें एवं अंतिम प्रस्तुतिकरण

7

पूर्वावलोकन एवं समीक्षा

पूर्वावलोकन (Preview) स्क्रीन का उपयोग करके दर्ज की गई सभी जानकारी की जाँच करें। आप निम्न कार्य कर सकते हैं: डेटा दर्ज करना में संशोधन के लिए वापस जाएँ, बाद में प्रस्तुत करने के लिए ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, या पुष्टि करें और सवमित करें

8

अंतिम प्रस्तुतिकरण

"पुष्टि करें और सवमित करें"

पर क्लिक करके अपने डेटा का अंतिम प्रस्तुतिकरण करें; अंतिम प्रस्तुतिकरण के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।

स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) का सृजन

प्रपत्र के सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने पर 11 अंकों की एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) उत्पन्न होगी, जो "H" अक्षर से प्रारंभ होती है। यह SMS तथा ई-मेल (यदि प्रदान किया गया हो) के माध्यम से भेजी जाएगी।

9

प्रगणक का दौरा

जब जनगणना प्रगणक (Enumerator) आपके घर आएँ, तो उन्हें अपनी SE ID प्रदान करें।

अनुभाग 4 : क्षेत्रीय सत्यापन



SE ID मिलान का परिणाम

यदि SE ID मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है, तो आपकी जानकारी की पुष्टि कर उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। यदि SE ID का मिलान नहीं होता है, तो प्रगणक द्वारा नई जानकारी एकत्रित की जाएगी।